राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–591/2025

सुभाष चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. रमेश कुमार, नर्सिंग अधिकारी, राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 18.03.2025

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला

डीडवाना–कुचामन में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का अभिकथन है कि राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त ही नहीं है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में किया गया है, जो अनुचित एवं मनमाना है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में नर्सिंग अधिकारी के 109 पद है, जबकि कुल 126 नर्सिंग अधिकारी (17 नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त) वर्तमान में कार्यरत है, नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त लगे हुए है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन भी नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का पद रिक्त है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पंचायत राज (स्थानान्तरित क्रियाकलाप) नियम–2011 के नियम 8 (iii) के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का

स्थानान्तरण जिला राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में किया गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त ही नहीं है। हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का कियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

7. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में किया गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त ही नहीं है। राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में नर्सिंग अधिकारी के 109 पद है, जबकि कुल 126 नर्सिंग अधिकारी (17 नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त) वर्तमान में कार्यरत है, नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त लगे हुए है (अनुलग्नक–3)। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रत्यर्थी विभाग को सुने बिना कोई अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है।

8. प्रत्यर्थीगण को दिनांक 15.04.2025 के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

9. अपीलार्थी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावें, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें।

10. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में किया गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त ही नहीं है। राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में नर्सिंग अधिकारी के 109 पद है, जबकि कुल 126 नर्सिंग अधिकारी (17 नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त) वर्तमान में कार्यरत है, नर्सिंग अधिकारी अतिरिक्त लगे हुए है (अनुलग्नक–3)। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रत्यर्थी विभाग को सुने बिना कोई अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है।

11. प्रत्यर्थीगण को दिनांक 15.04.2025 के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

12. अपीलार्थी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावें, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें।